संख्या-03/2020/409/नौ-7-2020

प्रेषक,

अनुराग यादव,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
2- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग-7 लखनऊ दिनांकः 14 मार्च, 2020

विषयः नोवेल कोरोना वायरस 2019 के नियंत्रण विषयक समुचित कार्यवाही/विशेष अभियान।

महोदय,

कृपया संचारी रोगों/वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम, नियंत्रण, बचाव एवं उपचार के विषयगत पूर्व निर्गत महत्वपूर्ण निर्देशों यथा शासनादेश संख्या सीएम96/नौ-7-19-27 (ज0)/2014 टी0सी0, दिनांक 31 मई, 2019, संख्याः 2084/नौ-7-19-27(ज0)/2014 टी0सी0, दिनांक 15 नवम्बर, 2019 संख्याः 349/नौ-7-20-27(ज0)/2014 टी0सी0, दिनांक 29 फरवरी, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा नगरीय निकायों में विभिन्न प्रकार के संचारी रोगों की रोकथाम हेतु प्रभावी उपाय एवं सफाई अभियान चलाये जाने के विषयगत विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये है।

उपरोक्त निर्देशों के क्रम में जैसाकि आप सभी अवगत है कि वर्तमान में नोवेल कोरोना वायरस 2019 के संभावित संक्रमण को प्रभावी रूप से नियंत्रित किये जाने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता पर समस्त यथावश्यक सुरक्षात्मक उपाय भली-भांति सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत विशेष सफाई अभियान के विषयगत पूर्व में निर्गत निर्देशों के अनुरूप विशेष रूप से निम्न कार्यवाही समस्त नगरीय निकायों में भली-भांति प्रभावी रूप से तत्काल सुनिश्चित की जायेः-

1. **सफाई की समुचित व्यवस्था -सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी अपने-अपने निकाय में विशेष कार्य दल, जिसमें नगर निकाय के अधिकारी/कर्मचारी व कूड़ा उठाने के वाहन, मशीन व अन्य उपकरणों के साथ क्षेत्र में निकलेंगे व स्वयं की देख-रेख में निर्धारित क्षेत्र को साफ करायेंगे। यह सफाई अभियान प्रत्येक वार्ड में संचालित किया जाना है। इस दौरान नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों को विशेष सफाई टीम के नेतृत्व की वार्डवार जिम्मेदारी तय करते हुए नामित करेंगे। सफाई के दौरान एकत्रित किये गये कूड़े को उसी समय सेनेटरी लैण्डफिल साइट पर भिजवाया जायेगा।**

2. **नाले/नालियों की सफाई - सफाई अभियान के दौरान छोटे-बडे सभी नालों की सफाई भी सुनिश्चित की जायेगी। निकाय के वार्ड के अन्दर पड़ने वाले समस्त छोटे नालों की सफाई सुनिश्चित की जायेगी। बड़े नालों की संख्या अधिक होने की दशा में, वे नाले चिन्हित किये जायेंगे, जो जल निकासी के लिये अत्यधिक आवश्यक हों और उनकी सिल्ट की सफाई तली तक की जायेगी। नाले से निकला हुआ सिल्ट तत्काल वहां से सेनेटरी लैण्डफिल साइट पर अथवा उचित स्थान पर भिजवाया जायेगा। किसी भी दशा में एकत्रित किये गये कूड़े अथवा सिल्ट को सड़क पर नहीं छोड़ा जायेगा।**

3. **शुद्ध पेयजल की व्यवस्था-शुद्ध पेयजल की व्यवस्था बीमारियों से बचाव के लिये अत्यन्त आवश्यक है। जल संस्थान व नगर निकाय के अधिकारी इस अभियान के दौरान पेयजल व्यवस्था से जुड़े नलकूप, पाइपलाइन्स व अन्य उपकरणों का संचालन इस तरह सुनिश्चित करेंगे कि पाइप पेयजल की आपूर्ति उनके क्षेत्र में अधिक से**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अधिक समय तक सुचारू रूप से हो सके। जिन क्षेत्रों में पेयजल की सप्लाई हैण्डपम्प से हो रही है उन इलाकों में प्रत्येक घर को क्लोरीन के टेबलेट उचित मात्रा मंे वितरित कराये जायेंगे।

4. खुले में शौंच से मुक्ति - स्वच्छता के अभियान में शौचालयों का निर्माण व निर्मित शौचालय के समुचित प्रयोग द्वारा खुले में शौच से मुक्ति (ओ0डी0एफ0) के लक्ष्य को हासिल करना एक महत्वपूर्ण अंग है। इस अभियान के तहत समस्त सामुदायिक शौचालय, पब्लिक टायलेट आदि की समुचित सफाई व रख-रखाव सुनिश्चित कराया जायेगा।

5. दवा का छिड़काव - वैक्टरजनित रोगों के रोकथाम के लिये आवश्यक है कि दवाई का नियमित छिड़काव व फागिंग की जाये। इस अभियान के दौरान जल भराव वाले स्थानों को चिन्हित करके प्रतिदिन, दिन में दवा का छिड़काव किया जायेगा तथा शाम के समय फागिंग की जायेगी।

6. विशेष प्रचार-प्रसार अभियान - कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु आम जन मानस के मध्य उपरोक्त विषयगत समुचित जानकारी एवं संवेदीकरण किये जाने के विषयगत विशेष रूप से प्रचार-प्रसार अभियान प्रत्येक निकाय में वार्ड स्तर पर प्रभावी रूप से सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त विषयगत प्रचार-प्रसार सामग्री विषयक नमूने चिकित्सा विभाग द्वारा तैयार कराये गये है, जिसकी प्रति ई-मेल से भी आप सभी को प्रेषित की जा रही है। तदनुसार आम जन मानस को उपरोक्त बीमारी से बचाव संबंधित उपायों के विषयगत जानकारी दिये जाने हेतु समुचित प्रचार-प्रसार तत्काल सुनिश्चित किया जाये। सार्वजनिक स्थलों, शासकीय भवनों एवं अन्य प्रमुख स्थलों आदि पर पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, हैंडबिल के माध्यम से प्रभावी रूप से नगरीय क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाये। उक्त कार्य हेतु स्वच्छ भारत मिशन नगरीय निदेशालय से आई0ई0सी0 मद में उपलब्ध करायी गयी धनराशि का उपयोग किया जा सकता है। आई0ई0सी0 मद में पूर्व से ही समस्त निकायों को धनराशि मिशन निदेशालय से उपलब्ध करायी गयी है साथ ही वर्तमान में पुनः प्रत्येक नगर निगम (10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर निगम हेतु 2.5 लाख, 10 लाख से कम आबादी वाले नगर निगम हेतु 2.00 लाख), प्रत्येक नगर पालिका परिषद (01 लाख से अधिक आबादी वाले प्रत्येक नगरपालिका परिषद हेतु 1.25 लाख एवं 01 लाख से कम आबादी वाली नगर पालिका परिषद हेतु 75 हजार), प्रत्येक नगर पंचायत हेतु (40 हजार) धनराशि आई0ई0सी0 मद में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से अवमुक्त की जा रही है। कृपया तदनुसार प्रभावी रूप से इस विषयगत प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराया जाये और मुख्यतः प्रचार-प्रसार हेतु चिकित्सा विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सामग्री के अनुरूप कोरोना वायरस के विषयगत बरती जाने वाली सावधानी एवं सतर्कता के बिन्दु को आम जन मानस में व्यापक रूप से जानकारी दिये जाने के विषयगत कार्यवाही की जाये।

7. सार्वजनिक प्रतिष्ठानों/स्थलों पर विशेष सफाई अभियानः- जैसाकि आप को विदित है कि उपरोक्त बीमारी के वायरस के संक्रमण को प्रभावी रूप से रोके जाने हेतु यह आवश्यक है कि समुचित रूप से साफ-सफाई प्रत्येक ऐसे स्थल/प्रतिष्ठान पर सुनिश्चित की जाये जहां व्यक्तियों का समूह एकत्रित होता हो यथा सिनेमाहाल परिसर, माल, बस स्टेशन, होटल आदि। यद्यपि वर्तमान परिस्थिति में यह उचित होगा कि जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर किसी प्रकार के सामूहिक आयोजनों अथवा सार्वजनिक स्थल पर होने वाले कार्यक्रमों को यथा सम्भव वर्तमान में हतोत्साहित किया जाये तथापि यदि अपरिहार्यतावश जन समूह के एकत्रित होने संबंधी कोई आयोजन यदि निकाय क्षेत्र में होता है तो वहां पर उपरोक्त समारोह के आयोजक के साथ समन्वय कर कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव संबंधित संदेश के विषयगत प्रचार-प्रसार भली-भांति सुनिश्चित कर आम जन मानस को जागरूक किया जाये। साथ ही साथ ऐसे सार्वजनिक स्थल/प्रतिष्ठान जहां पर भीड़-भाड़ रहती है अथवा व्यक्तियों के समूह का आवागमन रहता है, उक्त प्रकार के परिसर/स्थल हेतु विशेष सफाई की व्यवस्था के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

विषयगत चिकित्सा विभाग द्वारा दिये गये संलग्न सुझाव (सलग्नक-क) के अनुरूप सतत रूप से संबंधित परिसर के प्रभारी के साथ समन्वय कर उक्तानुसार उक्त स्थल/परिसर पर सम्बन्धित परिसर के प्रभारी द्वारा विशेष सफाई तदनुसार कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक - विशेष सफाई विषयक चिकित्सा विभाग द्वारा दिये गये सुझाव

- चिकित्सा विभाग द्वारा प्रचार-प्रसार विषयक सामग्री।

भवदीय,

(अनुराग यादव)
सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- **प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।**

2- **प्रमुख स्टाफ आफीसर मुख्य सचिव, उ0प्र0।**

3- **समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0**

4- **समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।**

5- **गार्ड फाइल।**

आज्ञा से,

(अनुराग यादव)
सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**